रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042025-262549 CG-DL-E-21042025-262549

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200] No. 200]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

सा.का.नि.239(अ).- अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए, कितपय नियम का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 31(अ) तारीख 13 जनवरी, 2025 द्वारा, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने के तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले उन सभी व्यक्तियों, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 13 जनवरी, 2025 को जनता को उपलब्ध कराई गई थीं;

2603GI/2025 (1)

और, उक्त अवधि के भीतर जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अत: अब, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु: -

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 32 में, "पांच वित्तीय वर्षों" शब्दों के स्थान पर "दस वित्तीय वर्षों" शब्द रखे जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों के नियम 36 में, उप-नियम (1) में, "पांच वित्त वर्षों" शब्दों के स्थान पर "दस वित्तीय वर्षों" शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.पी-13012/2/2021-विस्फोटक]

डा० संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2012 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि.469 (अ) तारीख 9 जुलाई, 2013, सा.का.नि. 938 (अ) तारीख 27 सितंबर, 2018 और सा.का.नि. 608 (अ) तारीख 31 अगस्त, 2021 द्वारा इनमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE) NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2025

G.S.R.239 (E).- WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, were published, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number, G.S.R. 31 (E), dated the 13th January, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 13th January, 2025;

AND WHEREAS no objection or suggestions were received from the public within the said period;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 32 of the Ammonium Nitrate Rules, 2012, herein after referred to as the said rules, for the words "five financial years", the words "ten financial years" shall be substituted.
- 3. In rule 36 of the said rules, in sub-rule (1), for the words "five financial years", the words "ten financial years" shall be substituted.

[F. No. P-13012/2/2021-EXPLOSIVE]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note.- The principle rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012 and subsequently amended vide notification number G.S.R 469(E), dated the 9th July 2013, G.S.R. 938(E), dated the 27th September, 2018 and G.S.R. 608(E), dated the 31stAugust, 2021.